भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3872
जिसका उत्तर बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

संविधान दिवस

3872. डॉ. डी. रविकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शैक्षिक संस्थाओं में 26 नवंबर को संविधन दिवस के रूप में मनाने के लिए एक परिपत्र जारी किया था और यदि हां, तो इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मंत्रालय की स्कूली विद्यार्थियों को संविधान की निःशुल्क प्रति वितरित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : जी हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वशासी संगठनों को शैक्षणिक संस्थानों में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रुप में मनाने तथा अन्य क्रियाकलापों जैसे वाद विवाद, प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, क्विज प्रतियोगिताओं, वार्ता, सेमीनार और इस क्षेत्र के उत्कृष्ट विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला के साथ-साथ संविधान की उद्देशिका के वाचन में भाग लेने हेतु निदेश जारी किए थे।

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने 26 नवंबर, 2019 को अपने जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली स्थित मुख्यालय पर संविधान दिवस मनाया । सचिव (न्याय) द्वारा प्रातः 11.00 बजे उद्देशिका वाचन करवाया गया, जिसके पश्चात् देश के सभी नागरिकों तक पहुंचने तथा भारत के संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों और इसमें निरूपित (मूल कर्तव्यों समेत) नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में अधिक जागरुकता लाने की आवश्यकता पर भाषण दिया गया। न्याय विभाग को इस अवसर पर विभिन्न क्रियाकलापों के समन्वयन के लिए केन्द्रक विभाग के रुप में भी अभिहित किया गया था । इसलिए, सचिव (न्याय) द्वारा सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों, सचिवों, राज्य सरकारों के विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, लोक उपक्रमों और स्वशासी निकायों को 26.11.2019 को प्रातः 11.00 बजे उन्हें अपने कार्यालयों/ यूनिटों /अधीनस्थ कार्यालयों आदि में उद्देशिका का वाचन करवाने कि लिए तारीख 13.11.2109 को पत्र भेजे गए। इसके उत्तर में, वृहद स्तर पर उद्देशिका का वाचन केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकारों के कार्यालयों, जल सेना, वायु सेना और सेना द्वारा सियाचिन जैसे दूरस्थ स्थानों पर भी, लोक उपक्रमों, पुरातात्विक स्थलों,

विद्यालयों, महाविद्यालयों, नगर निकायों, ग्राम पंचायतों, सामान्य सेवा केन्द्रों, न्यायपालिका और विदेश स्थित भारतीय मिशनों में किया गया।

(ख) : न्याय विभाग ने विद्यालयों में विद्यार्थियों की जानकारी और ज्ञान के लिए अपनी वेबसाइट (www.doj.gov.in) पर भारतीय संविधान और इसकी प्रमुख विशेषताओं से संबंधित एक प्रस्तुतिकरण रखने का निश्चय किया है।

****